

**गंगा, यमुना एवं हिण्डन एन्क्लेव
सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद**



2 BHK CLUSTER PLAN



2 BHK

UNIT BUILT UP AREA = 81.26 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 97.16 SQM



2 BHK+STUDY

UNIT BUILT UP AREA = 97.54 SQM
SUPER BUILT UP AREA = 116.66 SQM



PENTHOUSE PEARL

TOTAL BUILT UP AREA = 139.21 SQM
UNIT SUPER AREA = 166.50 SQM
TERRACE AREA = 37.51 SQM



UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN

3 BHK CLUSTER PLAN



3 BHK

BUILT UP AREA = 107.70 SQM
UNIT SUPER AREA = 128.06 SQM



PENTHOUSE RUBY

TOTAL BUILT UP AREA = 175.10 SQM
 SUPER AREA = 208.19 SQM
 TERRACE AREA = 38.69 SQM




UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN

4BHK+STUDY & 3 BHK+STUDY CLUSTER PLAN



PENTHOUSE DIAMOND

TOTAL BUILT UP AREA = 199.74 SQM
 UNIT SUPER AREA = 229.70 SQM
 TERRACE AREA = 64.45 SQM



UPPER FLOOR PLAN



LOWER FLOOR PLAN



4BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 165.15 SQM
 UNIT SUPER AREA = 189.92 SQM



3BHK+STUDY+TERRACE

BUILT UP AREA = 144.11 SQM
 UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM
 TERRACE AREA = 20.89 SQM



3BHK+STUDY

BUILT UP AREA = 144.11 SQM
 UNIT SUPER AREA = 165.73 SQM

SITE LAYOUT PLAN



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ट्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में सामान्य पंजीकरण के अर्न्तगत बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2018 (प्रथम चरण) (गंगा, यमुना एवं हिण्डन एन्क्लेव) में फ्लैटों/भवनों हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

भवनो की विशिष्टियाँ :

- स्ट्रक्चर :-** अतिप्रभावशाली भूकम्प रोधी आर0सी0सी0 शियरवाल तकनीक पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण।
- फर्श :-** बैडरूम/ड्राइंग रूम/डायनिंग लॉन्ज में विट्रिफाईड टाइल्स एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन फ्लोरिंग।
- किचन :-** कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
- ट्वायलेट :-** फर्श पर एन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
- चौखट :-** एंगिल आइरन/मलेशियन शाल वुड की चौखट।
- दरवाजे :-** फ्लैट्स में मुख्य द्वारा पर डिजाइनर डोर तथा अन्य समस्त फ्लश डोर।
- खिडकियाँ :-** यू-पी0वी0सी0 विण्डो, व जाली।
- रंग रोगन :-** फ्लैट्स में भीतरी दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग दरवाजों पर एनेमल पेन्ट/पालिश।
- जलापूर्ति :-** सभी फ्लैट हेतु छत पर आर0सी0सी0 का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टारेज की सुविधा।
- विद्युत :-** अग्निरोधक पी0वी0सी0 कॉपर कन्सील्ड वायरिंग व पावर व ए0सी0 प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी0वी0 एवं फोन साकेट व एम0सी0बी0।
- स्टेयर केस :-** कोटा स्टोन फ्लोरिंग, आयरन रेलिंग।
- डोर फिटिंग्स :-** गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

अन्य प्राविधान :-

- 1 इन्टरकॉम व टेलीफोन/इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।
- 2 मुख्य दरवाजे पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- 3 प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।
- 4 वाशिंग मशीन के लिये अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।
- 5 केबिल / डिश टी0वी0 नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- 6 परिसर में क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पूल का प्राविधान।

बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2018 में फ्लैटों का सामान्य पंजीकरण हेतु उपलब्ध सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फ्लैट का प्रकार/श्रेणी	उपलब्ध फ्लैट	कार्पेट एरिया (व.मी.)	विक्रय मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख में) कुल मूल्य का 5%	प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 15% धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि 11.5% ब्याज सहित 120 किश्तों में वसूल की जायेगी प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि
1.	गंगा एन्क्लेव	3 बी.एच.के.+ स्टडी S+20	120	144.11	109.54	5.48	16.44	123300.00
		3 बी.एच.के.+ स्टडी+टेरिस 17वीं मंजिल	07	144.11	111.52	5.58	16.73	125500.00
		4 बी.एच.के.+ स्टडी S+20	105	165.15	125.03	6.26	18.76	140700.00
		पेन्ट हाउस डायमण्ड 19-20 मंजिल	04	199.74	164.46	8.23	24.67	185000.00
2.	यमुना एन्क्लेव	2 बी.एच.के.+ स्टडी S+20	164	97.54	75.38	3.77	11.31	84800.00
		3 बी.एच.के. S+20	106	107.70	81.68	4.09	12.26	91900.00
		पेन्ट हाउस पर्ल 19-20 मंजिल	03	139.21	110.09	5.51	16.52	123900.00
		पेन्ट हाउस रूबी 19-20 मंजिल	09	175.10	140.75	7.04	21.11	158400.00
3.	हिण्डन एन्क्लेव	1 बी.एच.के. S+20	24	51.28	41.43	2.08	6.22	46700.00
		2 बी.एच.के. S+18 कुल	113 655	81.26	62.79	3.14	9.42	70700.00

नोट :

1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

पंजीकरण हेतु प्राविधान :

- 1 बहुमंजिले फ्लैट्स के प्रत्येक टावर हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य कॉमन सुविधाओं जैसे—लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है।
- 2 बाउण्ड्रीवाल, गार्डरूम, सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिये योजना में प्राविधान किया गया है।
- 3 फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।
- 4 इंगित मूल्य अनुमानित है।
- 5 भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 9. 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 6 सामान्यतः एक श्रेणी में कराये गये पंजीकरण अन्य श्रेणियों में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
- 7 उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्पेस, स्टिल्ट / खुला / कवर्ड स्थान आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रू0—1.75 लाख व खुले के लिए रू0—0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। उपलब्ध पार्किंग स्पेस आवंटियों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- 8 प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- 9 परिसर का रख-रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियों द्वारा नियमानुसार “रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी” का गठन करते हुए उसके द्वारा रख-रखाव कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 10 प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व “कार्पस फण्ड” में एक मुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि 2 BHK भवन हेतु रू0—145000.00, 2 BHK+study भवन हेतु रू0—175000.00 3 BHK भवन हेतु रू0—190000.00 एवं 3 BHK+study भवन हेतु रू0—250000.00 तथा 4 BHK+study भवन हेतु रू0—285000.00 एवं पेन्ट हाउस पर्ल हेतु रू0—290000.00 पेन्ट हाउस रूबी हेतु रू0—340000.00 पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु रू0—370000.00 एवं 3 BHK+study +Terrace हेतु 330000.00 अतिरिक्त देय होगी।
- 11 परिसर की सामान्य सेवाये जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रतिमाह भवनों के सुपर प्लिनथ एरिया के अनुसार रू0—1.50 प्रति वर्गफुट की दर से रख-रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसायटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।
- 12 योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख-रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित अपने श्रोतो से वहन करना होगा।
- 13 राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे— जी.एस.टी. या अन्य टैक्स आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।

- 14 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर श्रोत पर 01 प्रतिशत आयकर कटौती का प्राविधान है। रू0-50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के आवंटी किशत से 01 प्रतिशत धनराशि आयकर के रूप में कटौती कर क्रेता द्वारा TIN वेबसाइट पर उपलब्ध 26QB के माध्यम से आयकर विभाग में परिषद के पैन संख्या-AAAJU0103A में धनराशि समयान्तर्गत जमा कर फार्म नं.-16बी की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उक्त जमा धनराशि की पुष्टि 26AS से करने के उपरान्त ही सम्पत्ति के खाते में प्रविष्ट की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3 फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजीकरण के नियम :

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी अधिकृत निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4 यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा पुस्तिका में संलग्न निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 5 यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी. की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित संलग्न रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 6 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका :

(सामान्य पंजीकरण योजना)

- 1 भुगतान की तिथि एवं किशतो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण युक्त प्रदेशन पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि बैंक कार्य दिवस में परिषद के बैंक खाता में जमा करना होगा।

- 2 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 13.5 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
- 3 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 4 लाटरी ड्रा के उपरान्त प्रदेशन पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

आवंटन नियम :

- 1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी ड्रा द्वारा पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की एक साथ पंजीकरण योजना में किये गये आवेदन के अनुसार डालकर श्रेणीवार लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 4 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्यी डाली जायेगी। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 5 सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 1 लाटरी ड्रा के पश्चात् असफल आवेदकों को 45 दिन के अन्दर नोडल बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट / चैक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

फ्लैट्स का कब्जा

- 1 सामान्य योजना के अर्न्तगत आवंटित सम्पत्ति के आवंटी को प्रदेशन पत्र के अनुसार वांछित धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि का भुगतान के उपरान्त फ्लैट के किराया किश्त क्रय अनुबन्ध कराना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 3 सामान्य पंजीकरण योजना में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा स्वीकृत मूल्यांकन का 15 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य समस्त देय धनराशि जमा होने के बाद किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के पंजीयन उपरान्त देय होगा तथा अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि (सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य का 80 प्रतिशत) 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 10 वर्षों की मासिक किश्तों के भुगतान उपरान्त विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख किराया किश्त क्य किरायेदारी का अनुबन्ध एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक प्रपत्र यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 3 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन मान्य होंगे।
- 4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान लागू होंगे।
- 5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (कमांक 5 एवं 6 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने है। अतः अंग्रेजी में सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु ' F ' भरें।
- 9 आवेदन पत्र के बिन्दु-3 पर अंकित सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से किसी एक सम्पत्ति श्रेणी को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्रके साथ उ.प्र. शासन के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	—————तदैव—————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	—————तदैव—————
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। नेत्रहीन आवेदकों को उक्त में से शासनादेशों के अनुपालन में 1% आरक्षण देय है।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। आवेदक को आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 5 एवं 6 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु ' F ' भरें।
- 9 आवेदन पत्र के बिन्दु-3 पर अंकित सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से किसी एक सम्पत्ति श्रेणी को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित / सामान्य	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
उ.प्र. सरकार के सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक	O

होरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही प्रथम अंकित विकल्प मान्य होगा।

- 11 आवेदन पत्र के बिन्दु-4 पर अंकित पंजीकरण / आवंटन हेतु भुगतान का विकल्प एवं आवेदित श्रेणी पर सही का निशान लगाये तथा सम्पत्ति का मूल्य हस्तलिपि में अंकित करें।
- 12 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण प्रमाण पत्र की पुष्टि अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 13 पंजीकरण हेतु बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर “उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजना 2018 (UPAVP Housing Scheme 2018)” दिल्ली/गाजियाबाद के पक्ष में देय होगा।
- 14 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-12 में दिया जायेगा अतः इस स्तम्भ में बिन्दु 14 में बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है एवं आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 15 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट/चैक के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय नहीं होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।
- 16 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 17 अपूर्ण आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 18 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय पंजीकरण/चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी, तथा चरण 2014 अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 19 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 20 आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
- 21 तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ सकती है। जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसमें वीरगति प्राप्त की हों।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य उ.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

**बैंक शाखा का नाम व पता जहां से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने
एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र
(पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है**

**पंजीकरण 00 जनवरी 2018
से प्रारम्भ**

**आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अन्तिम तिथि 00 फरवरी 2018**

क्रमांक	बैंक का नाम	पता	दूरभाष नं०
1.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	आयुष पाण्डेय, ब्रांच मैनेजर वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद	मो. : 08368025962

**पंजीकरण पुस्तिका दि० 00 जनवरी 2018 से उपरोक्त बैंक /
स्थान पर रू० 1000/- मूल्य जमा करके प्राप्त की जा सकती है।**

पंजीकरण पुस्तिका उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ स्थित प्रचार
अनुभाग से भी प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन पत्र के आवागमन में डाक संबंधी विलम्ब हेतु बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

डाक द्वारा पुस्तक मंगाने हेतु (रु. 50/-) डाक खर्च अतिरिक्त देय होगा